

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 177] नई दिल्ली, बुधवार, प्रवृत्त 21, 1970/प्राश्विन 29, 1892

No. 177] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 21, 1970/ASVINA 29, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 21st October, 1970.

SUBJECT: *Import Policy for Registered Exporters for the year April, 1970—March, 1971 (Amendment No. 41).*

No. 157-ITC(PN)/70.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in Volume II of the Import Trade Control Policy Book (Red Book) for the year April, 1970—March 1971 issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No 48-ITC(PN)/70, dated 31-3-1970.

(1013)

2. The following amendments may be made at the appropriate places as indicated below:—

Page No. of the Red Book (Vol. II)	Reference	Amendment
182	<u>J.1</u> Col. 5	The following may be added in column 5 as second remark:— "There would be no objection to accepting a processor as a nominee against export of un-manufactured tobacco. Such a nominee would, however, be entitled to only 'redrying and processing equipment' subject to essentiality being certified by the Sponsoring Authority. He would not be allowed any other items either from column 4 or on basis of an AU licence held by him.

R. J. REBELLO,
Chief Controller of Imports & Exports,

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 1970

विषय :—अप्रैल 1970 से मार्च, 1971 के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन संख्या 41)

सं० 157-आई० टी सी० (पी० एन०)/70.—अप्रैल 1970—मार्च 1971 वर्ष के लिए आयात-व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक का वालुम दो जो विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 48-आई टी सी (पी एन)/70, दिनांक 31-3-1970 के अन्तर्गत जारी किया गया था, उसमें पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात-नीति, जो समय समय पर संशोधित की गई है, उसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट किए गए के अनुसार उपयुक्त स्थलों में किए जाएं।

रेड बुक (वालुम 2) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1	2	3
182	जे० 1	निम्नलिखित को कालम 5 में द्वितीय टिप्पणी के रूप में जोड़ा जाए :—
	कालम 5	"अनिमित्त तम्बाकू के निर्यात के लिए संसाधित करने वाले को नामित के रूप में स्वीकार करने में कोई

1

2

3

आपत्ति नहीं होगी लेकिन, उखरदायी प्राधिकारी द्वारा अनिवार्यता प्रमाणित होने के अधीन इस प्रकार का नामित केवल दुबारा सुखाने वाले तथा संसाधन उपकरण के लिए ही अधिकृत होगा। कालम 4 में से अथवा उसके द्वारा वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस धारण करने के आधार पर उसे अन्य किसी मद के लिए स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

आर० जे० रबैलो,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

